झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ०सं०–8 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०दु०–04 / 2009:–................................ / राँची, दिनांकः–.........................

आदेश

विभागीय संकल्प संख्या 7473 दिनांक 27.12.12 द्वारा श्री रामेश्वर मिस्त्री, तदेन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों यथा सरकारी राशि का गबन एवं घोर अनुशासनहीनता के लिए असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 49 ए एवं झारखंड सेवा संहिता के नियम–96 के अंतर्गत निलंबित किया गया था।

2. पुनः विभागीय संकल्प संख्या 321 दिनांक 22.01.13 द्वारा श्री मिस्त्री के विरूद्ध उक्त आरोपों के लिए सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत श्री मिस्त्री को विभागीय आदेश ज्ञापांक 1940 दिनांक 04.03.13 तथा ज्ञापांक 2762 दिनांक 28.03.14 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

(क) दो लाख रू० की वसूली दिनांक 30.11.08 के प्रभाव से 12% सूद के साथ।

4. परन्तु श्री मिस्त्री को सेवा निवृति की तिथि दिनांक 31.07.13 तक उन्हें निलंबन मुक्त नहीं किया जा सका था।

5. अतएव श्री रामेश्वर मिस्त्री के द्वारा निलंबन समाप्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन एवं उनकी सेवा निवृति पर विचार करते हुए सरकार ने इन्हें सेवा निवृति की तिथि दिनांक 31.07.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया है।

उपर्युक्त आरोपों के लिए दंडित होने के फलस्वरूप उन्हें निलंबन अवधि के लिए अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य वेतनादि देय नहीं होगा।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1232 / राँची, दिनांकः– 06/06/13 /

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखंड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका / मेदिनीनगर / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका / संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / श्री रामेश्वर मिस्त्री, सेवानिवृत कनीय अभियंता, शिव मंदिर चौक, हिजला रोड, डंगालपाड़ा, पुराना दुमका–814101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।